

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पटना, दिनांक 05.01.18

पत्रांक 87/37/92

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन)15/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,
मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी, सीतामढ़ी।

विषय :-


मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-107-रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851001070101 के विषय शीर्ष 0101.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से मलवरी प्रसाद-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी, सीतामढ़ी में मलवरी उत्पादन प्रदर्शन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 4,00,000/- (चार लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 15 दि० 02.01.2018 के आलोक में उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषय शीर्ष 0101.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से रू० 4,00,000/- (चार लाख) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-107-रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851001070101 के विषय शीर्ष 0101.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा।
- 3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
- 5 राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जाएगी।
- 6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- 7 2017-18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।
- 8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 15, दिनांक 02.01.2018 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 87/आ/१२१

पटना, दिनांक 05.01.18


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ज्ञापांक 87/आ/१२१

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 05.01.18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका/उप विकास आयुक्त, सीतामढी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, पटना, बिहार/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।